बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

श्री आशीष प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक, दरभंगा सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना) द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत छोटे व्यवसायियों का भयादोहन कर राशि वसूल करने संबंधी माननीय विधान सभा सदस्य, श्री संजय सरावगी से प्राप्त परिवाद पत्र की जाँच विभागीय आदेश 7749 दिनांक 20.12.2025 से विभागीय जाँच दल द्वारा करायी गयी। विभागीय जाँच दल द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि श्री आशीष प्रकाश द्वारा मेसर्स नवराज ट्रेडर्स प्रो0–बैजनाथ कुमार, पिता–श्री महेश यादव, ग्राम–वधिया, गौसाघाट, सकरी रोड, दरभंगा को बिना अनुज्ञप्ति के लघु खनिज के व्यवसाय करने के लिए जुर्माने के रूप में दिनांक 15.11.2025 को ₹13,41,360/–(रूपये तेरह लाख इकतालीस हजार तीन सौ साठ मात्र) का नोटिस जारी किया गया। बाद में दुकानदार से नोटिस को खत्म करने के एवज में अवैध रूप से ₹2,00,000/–की राशि की मांग से संबंधित कतिपय आरोप लगाया गया एवं राशि की पूर्ति किये जाने पर उक्त नोटिस को फाड़ देने की बात कही गई। जाँच दल द्वारा दुकानदार से सम्पर्क कर पूछे जाने पर दुकानदार द्वारा श्री प्रकाश द्वारा बताये गये आदमी को ₹2,00,000/–देने की बात कही गई। श्री आशीष प्रकाश द्वारा नोटिस जारी करने के एक महीना पाँच दिनों के बाद दिनांक 20.12.2025 को मेसर्स नवराज ट्रेडर्स दरभंगा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया गया।

2. श्री आशीष प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक, दरभंगा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–126 दिनांक–05.01.2026 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री आशीष प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक, दरभंगा द्वारा दिनांक–22.01.2026 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री आशीष प्रकाश से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में श्री आशीष प्रकाश द्वारा अपने बचाव बयान के संदर्भ में खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा से इस संबंध में मंतव्य की मांग की गई। खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि श्री प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक द्वारा उक्त कार्रवाई उनके निदेशानुसार की गई है। साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय निदेश के आलोक में भंडारण अनुज्ञप्ति हेतु शिविर लगाने के पश्चात् 33 व्यक्तियों द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया, किन्तु नवराज ट्रेडर्स एवं न्यू जय मातादी ट्रेडर्स के द्वारा भंडारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अद्यतन आवेदन अभी तक कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है। इस संदर्भ में नवराज ट्रेडर्स के प्रोपराइटर श्री महेश यादव द्वारा लगाये गये कतिपय आरोप एवं श्री आशीष प्रकाश द्वारा अपने बचाव में जो भी तर्क एवं साक्ष्य दिये गये हैं, इनके तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इस स्थिति में श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक का लिखित अभिकथन प्रथम दृष्टतया स्वीकार योग्य नहीं है। श्री आशीष प्रकाश प्रथम दृष्टतया दोषी पाये गये हैं। श्री आशीष प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री आशीष प्रकाश के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री आशीष प्रकाश से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः—आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री आशीष प्रकाश हेतु)

ह0/—
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—प्र0—II—अरा0(आ0)—34/2025—................/एम0, पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपिः— **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा,**—सह—संचालन पदाधिकारी/ **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा**—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री आशीष प्रकाश, तत्कालीन खान निरीक्षक, दरभंगा सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— प्र0—II—अरा0(आ0)—34/2025—................/एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः— प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— प्र0—II—अरा0(आ0)—34/2025—................/एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः— जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— प्र0—II—अरा0(आ0)—34/2025—................/एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः— उप निदेशक, अंचल कार्यालय, दरभंगा/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— प्र0—II—अरा0(आ0)—34/2025—3536/एम0, पटना, दिनांक 02/06/26

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/खान निरीक्षक स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

02/06/26
सरकार के अपर सचिव

Sanj/bach/karyalaya adesh